

**उत्तर प्रदेश सरकार**  
**नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन**  
**कार्यक्रम अनुभाग**

संख्या : 3388/69-1-2002-4 (एल)/2001

लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2002

**अधिसूचना**

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिवेष) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या-46 सन, 1993) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विनिर्दित करते हैं कि इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से, समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के सेनेटरी इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी और डूडा के परियोजना अधिकारी अपने से संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम के अधीन इंस्पेक्टर के कृत्यों का नियादन करें।

भवदीय,  
राकेश गर्म  
सचिव

**संख्या-3388(1)/69-1-2002-4 (एल)/2001 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, 30 प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०।
4. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 30प्र०, लखनऊ को इन अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार कराने का काष्ट करें।
7. महानिदेशक, पुलिस/समस्त पुलिस महानिरीक्षक, 30प्र०।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30प्र०।
9. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, 30प्र०।
0. समस्त मुख्य नारां अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, 30प्र०।
1. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, 30प्र०।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं टाउन एरिया।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र०।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
5. समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के सेनेटरी इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी, 30 प्र०।
6. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०।
15. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
राकेश गर्म  
सचिव

# UTTAR PRADESH SHASAN

Nagariya Rojgar Evam Garibi Unmulan Karyakram Anubhag.

In Pursuance of the Provisions of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 3388/69-1-02-4(L)/2001 dated 23 November, 2002

## NOTIFICATION

No. 3388/69-1-2002-4(L) 2001

Dated, Lucknow 23 November, 2002

In exercise of the powers under Sub-Section (1) of the Section 9 of The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act 1993 (Act no. 46 of 1993) the Governor is pleased to specify that with effect from the date of issue of this notification all the Sanitary Inspectors and Executive Officers of all Urban Local Bodies and Project Officers of D.U.D.A. shall perform function of inspectors under this act in their respective areas.

By order,  
(Rakesh Garg)  
Secretary